मध्य प्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6–17/2012/52–2 भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
भोपाल

विषयः– म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं के समूहीकरण विषयक।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक बजट/7/14–15/4854; दिनांक 5/11/2014

राज्य शासन एतद् द्वारा म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके सम्मुख दर्शाये योजना मद में समूहीकृत करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करता है कि वित्तीय मापदण्ड पूर्व अनुसार यथावत रहेगेः–

क0	योजना का नाम जिन्हें समूहीकृत करना है	समूहीकृत योजना का नाम
1	विपणन सहायता	विपणन सहायता एवं प्रचार प्रसार
2	प्रचार प्रसार योजना	
1	उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन, प्रशिक्षण, अधोसंरचना का संचालन, विकास एवं विस्तार
2	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	
3	स्पेशल प्रोजेक्ट योजना	
4	अनुसंधान एवं विकास योजना	
5	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना	

2/ योजनाओं के समूहीकरण उपरांत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में स्वीकृति किस नियम के तहत प्रस्तावित है, इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुरूषोत्तम शर्मा)
उप सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
भोपाल, दिनांक 17/08/2015

पृष्ठां0 क्रमांक एफ 6–17/2012/52–2
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
2. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/आदिम जाति कल्याण विभाग
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 6–39/2014/52–2 भोपाल, दिनांक 18/08/2015

प्रति,

1. आयुक्त
   हाथकरघा एवं हस्तशिल्प
   मध्यप्रदेश भोपाल
2. आयुक्त,
   रेशम
   मध्यप्रदेश भोपाल
3. प्रबंध संचालक
   मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
   भोपाल
4. प्रबंध संचालक,
   संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम
   भोपाल
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   म0प्र0 माटीकला बोर्ड
   भोपाल

विषयः– कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन नियम–2015

राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न अनुसार कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन नियम–2015 को स्वीकृति प्रदान करता है।

यह नियम जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुरूषोत्तम शर्मा)
उप सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
भोपाल, दिनांक 18/08/2015

पृष्ठां0 कमांक एफ 6–17/2012/52–2
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
2. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/आदिम जाति कल्याण विभाग
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर

उप सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन नियम –2015

1. योजना का आच्छानदः–

बेरोजगार युवाओं एवं अल्पकालीन रोजगार प्राप्त हितग्राहियों को खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प, हाथकरघा, माटीकला एवं संबद्ध गतिविधियों (एडिशनल स्किल व एलाईड वर्क) में कौशल विकास के लिए उन्नत प्रशिक्षण देना।

2. कियान्वयन एजेन्सीः–

शासकीय विभाग, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेन्ट सेल, अर्द्धशासकीय संस्थाएँ।

3. प्रशिक्षण संस्था/प्रशिक्षण चयनः–

कियान्वयन एजेन्सी प्रशिक्षण संस्था/प्रशिक्षक के चयन के लिए निम्नानुसार प्राथमिकता देगी –

1. केन्द्र/राज्य सरकार या उनके उपकम/काउन्सिल द्वारा स्वयं संचालित अथवा स्पॉन्सर्ड प्रशिक्षण संस्थाएँ (वी0टी0पी0) राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थान, कौशल विकास केन्द्र आदि।

2. मध्यप्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद में पंजीकृत वी0टी0पी0 (चयन पारदर्शी प्रकिया से)।

3. राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित मध्यप्रदेश के परंपरागत शिल्प के मास्टर शिल्पी।

4. वित्तीय सहायता की मदेंः–

कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था की प्रोफेशनल फीस तथा मजदूरी क्षतिपूर्ति एंव आने–जाने, ठहरने एवं खाने के व्यय।

5. वित्तीय सहायता की सीमाः–

1. कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था की फीस–

(अ) केन्द्र/राज्य शासन के मंत्रालयों, उपकमों, काउसिल द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्था के द्वारा निर्धारित फीस।

अथवा

(ब) अन्य संस्थाओं के मामलें में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा निर्धारित फीस।

अथवा

(स) मास्टर शिल्पियों से प्रशिक्षण दिये जाने पर मास्टर शिल्पियों को मानदेय व अन्य व्यय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के मापदण्डों के अनुसार।

2. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण भत्ता, आने–जाने, ठहरने एवं खाने का व्ययः–

(अ) स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा निर्धारित भत्ता अथवा रूपये 3000/– प्रतिमाह जो भी कम हो।

(ब) कार्य स्थल से बाहर प्रशिक्षण पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी।

(स) कार्य स्थल से प्रशिक्षण केन्द्र तक आने–जाने का न्यूनतम बस किराया या स्लीपर क्लास का किराया।

(द) ठहरने एवं खाने की व्यवस्था हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के संस्थान द्वारा मांग की गई राशि अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के तहत "सी–ग्रेड" के कर्मचारियों के लिए नियत दैनिक भत्ता एवं आवास भत्ता।

6. सहायता एवं स्वीकृति की प्रकियाः–

रूपये 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार संबंधित घटक के विभागाध्यक्ष, प्रबंध संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होंगे। सहायता की द्विरावृत्ति न हो इस हेतु स्वीकृति आदेश की प्रतियां समस्त घटकों को पृष्ठांकित की जाये। रूपये 10 लाख से अधिक के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित छानबीन समिति द्वारा द्विरावृत्ति की छानबीन उपरांत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होगे तथा समस्त घटक प्रमुख सदस्य होगे।

7. योजना कियान्वयन की मॉनीटरिंगः–

संबंधित विभागाध्यक्ष, निगम एवं बोर्ड।

मध्य प्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 3–8/2015/52–2 भोपाल, दिनांक 19/08/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म0प्र0 माटीकला बोर्ड
भोपाल .

विषयः– माटी शिल्पियों का राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के नियमों की स्वीकृति।

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप कमांक एफ 6–61/2008/52–2 दिनांक 8/6/2012

राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा जारी प्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को सज्य स्तरीय पुरस्कार की नियम प्रकिया को निरस्त करते हुए संलग्न अनुसार प्रदेश के "माटी शिल्पियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार की नियम प्रकिया" को स्वीकृति प्रदान करता है।

यह नियम जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुरूषोत्तम शर्मा)
उप सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
भोपाल, दिनांक 19/08/2015

पृष्ठां0 कमांक एफ 3–8/2015/52–2
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग
2. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/आदिम जाति कल्याण विभाग
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर
6. आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प म0प्र0 भोपाल
7. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

कमांक 1 से 6 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

"मध्यप्रदेश के माटी शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के नियम एवं प्रकिया"

1–योजना का नामः– "मध्यप्रदेश के माटी शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार"

2– पृष्ठभूमि व उद्देश्य :–प्रदेश के माटी शिल्पियों को कलात्मक सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जावेगे। यह सम्मान माटी शिल्पियों को श्रेष्ठ कलात्मक सृजन के लिये प्रेरित करते हैं, जिससे प्रदेश की माटी शिल्पकला ओर अधिक समृद्व होगी।

3–पात्रता :– मध्यप्रदेश में निवासरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी, वे माटी शिल्पी पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड, भोपाल अथवा भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय में पंजीकृत हैं।

4–पुरस्कार राशि :–

प्रथम पुरस्कार –	रुपये 1.00 लाख (एक लाख)
द्वितीय पुरस्कार –	रुपये 50,000/– (पचास हजार)
तृतीय पुरस्कार–	रुपये 25,000/– (पच्चीस हजार)

5–जिला स्तरीय चयन समिति :–

उत्कृष्ट माटी शिल्पियों और उनकी कलाकृतियों को सम्मानित करने के लिए पारदर्शी चयन प्रकिया हेतु जिला स्तरीय चयन समिति निम्नानुसार होगी :–

1–मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2–एस.डी.एम, (संबंधित जिला)	सदस्य
3–उपं संचालक/प्रबंधक, म.प्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
4–सहायक संचालक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
5–राज्य/राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त शिल्पी (यदि कोई हों)	सदस्य

जिला स्तरीय चयन समिति जिलों मे प्राप्त माटी कलाकृतियों मे से अधिकतम 03 कलाकृतियों का चयन कर बोर्ड मुख्यालय को अनुशंसित करेगी।

6– राज्य स्तरीय चयन समिति :–

जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित माटी कलाकृतियों में से पुरस्कार योग्य क... का चयन "राज्य स्तरीय चयन समिति" अंतिम रुप से करेगी। राज्य स्तरीय चयन ... निम्नानुसार होंगीः–

1–अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड भोपाल,	अध्यक्ष
2–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, म.प्र.शासन,	सदस्य
3– आयुक्त, हाथकरघा म.प्र. भोपाल,	सदस्य
4–प्रबंध संचालक, म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल,	सदस्य
5–प्रबंध संचालक, संत रविदास, म.प्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल,	सदस्य
6–राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिल्पी,	सदस्य
7–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड,भोपाल	सदस्य/सचिव

राज्य स्तरीय चयन समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड, भोपाल द्वारा की जावेगी।

7–राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन की समयबद्व योजना :–

1–माटीकला शिल्पियों से अभिरुचि आमंत्रण हेतु आवेदन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन	–10 अप्रैल तक
2–जिला कार्यालयों को परिपत्र जारी करने दिनांक (बोर्ड मुख्यालय द्वारा)	–15 अप्रैल तक
3–माटी कला कृति ज़िला स्तर पर जमा करने की अंतिम तारिख	–20 जून तक
4–जिला स्तरीय कमेटी की चयन प्रकिया	–15 जूलाई
5–जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित कलाकृतियॉ बोर्ड मुख्यालय में भेजने की तिथि	–25 जूलाई तक
6–राज्य स्तरीय चयन समिति की चयन प्रकिया	–10 अगस्त तक
7–चयनित माटीकला शिल्पियों का पुरस्कार वितरण	–1से 5 दिसम्बर तक

अपरिहार्य कारणों से आवश्यक होने पर समय सीमा में अध्यक्ष मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की

सहमति से परिवर्तन किया जा सकेगा।

8–अन्य :–

1–जिला स्तर पर कला कृतियां स्वीकार करने के लिए संबंधित जिले के उप संचालक/प्रबंधक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के स्थानीय अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अधिकृत होंगे। आवेदन पत्र की आवक–जावक रजिस्ट्रर में एन्ट्री अनिवार्य रुप से की जावे या अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की सूचना लिखित में मुख्यालय को आवेदनों की छायाप्रति सहित भेजी जायेगी।

2–चयन के उपरांत जिला स्तर से प्रविष्टियां भेजने का दायित्व उप संचालक/प्रबंधक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के के स्थानीय अधिकारी/प्रभारी अधिकारी का होगा।

3–कलाकृतियां मुख्यालय लाने व वपिस ले जाने का व्यय मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड भोपाल द्वारा वहन किया जावेगा।

4–पुरस्कृत शिल्पियों को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आने–जाने का रेल्वे का ए.सी तृतीय श्रेणी वातानुकुलित क्लास का किराया अथवा लग्जरी बस का किराया मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। ठहरने तथा भोजन की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जावेगी।

5–पुरस्कृत वरिष्ठ/महिला शिल्पी अपने साथ एक सहायक भी ला सकेगा। सहायक को भी समान श्रेणी का किराया व ठहरने/भोजन की व्यवस्था की जावेगी।

6–पुरस्कृत शिल्पियों को देश/विदेश में बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में उनके उत्पादन बेचने के लिए प्राथमिकता दी जावेगी।

7–पुरस्कृत शिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण में प्राथमिता दी जावेगी।

8–राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन के बाद पुरस्कृत कलाकृति व शिल्पी का फोटो संबंधित जिले में वितरित होने वाले एक लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करवा कर आपत्तियॉ आमंत्रित की जावेगी। आपत्तियों के निराकरण के बाद ही पुरस्कार चयन पूर्ण माना जावेगा। आपत्तियॉ के निराकरण के लिए संबंधित शिल्पी से चयनित माटीशिल्प पुनः निर्माण करने के लिए कहा जा सकता है। कार्य की वीडियोग्राफी करवाई जावेगी व शिल्पी को अर्द्धकुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक वेजलॉस के रुप में देय होगा।

9–पुरस्कार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय

470

क्रमांक एफ 3–6/2014/52–2 भोपाल, दिनांक 9/6/ 2015

प्रति,

1. आयुक्त,
   हाथकरघा एवं हस्तशिल्प,
   म0प्र0 भोपाल।
2. प्रबंध संचालक,
   म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
   भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   म0प्र0 माटीकला बोर्ड,
   भोपाल।

विषयः–स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद से अनुमोदित योजनाओं की मार्गदर्शिका के संशोधन।

विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के नियम प्रकिया को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

राज्य शासन एतद् द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्रकिया संबंधी मार्गदर्शिका मे किसी प्रकार के वित्तीय संशोधन न होने तथा अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आने की शर्त पर बिन्दु क्रमांक 4 में निम्नानुसार संशोधित शब्दावली प्रतिस्थापित करता हैः–

4. <u>योजना का कियान्वयनः–</u> कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग अन्तर्गत योजना का कियान्वयन हाथकरघा संचालनालय द्वारा नावार्ड द्वारा समय–समय पर जारी लघु, कुटीर, अत्यंत लघु और ग्रामोद्योगो की सूची मे शामिल उद्योग के लिए, माटीकला बोर्ड द्वारा माटी शिल्प से संबंधित उद्योग के लिए तथा म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अन्य कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्थापना के लिये अपने अमले व बजट से किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप विभागाध्यक्ष एव बोर्डवार वित्तपोषित किये जाने वाले उद्योगो की सूची परिशिष्ट पर है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से यू0ओ क्रमांक 09/B–4/15 दिनांक 5.6.15 से प्राप्त सहमति एवं प्राप्त अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पुरूषोत्तम शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

4,1

पृ0क्रमांक एफ 3–6/2014/52–2

भोपाल, दिनांक 9-6-2015

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म0प्र0 ग्वालियर।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, म0प्र0 ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

–की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग